ISO No. 21001:2018 ESTD :2003

कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धौलपुर (राजस्थान)

राजस्थान सरकार द्वारा स्थाई मान्यता प्राप्त एवं
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा स्थाई सम्बद्धता प्राप्त
National Assessment& Accreditation Council (NAAC) द्वारा प्रदत
GRADE "B"
गिर्राज कॉलोनी, धौलपुर (राज)
विवरणिका–Prospectus

9785552515,9530308515 kamlamahavidhyalaya@gmail.com

web-: https://kpgc.kspm.org.in

अध्यक्ष	सचिव	निदेशक	प्राचार्य
डॉ0 रामरज लाल शर्मा	श्री मन्दीप शर्मा	डॉ0 राजेश कुमार शर्मा	डॉ0 पी0एस0 तिवारी

स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर-I)प्रवेश अर्हतायें–

स्नातक पास कोर्स व ऑनर्स कोर्स के पार्ट प्रथम (सेमेस्टर) मे प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियो का प्रकार	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	ऑनर्स
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम–2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हों।	कला संकाय – 45 विज्ञान संकाय – 48	कला संकाय – 45 विज्ञान संकाय – 50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हों।	60	60

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंवाठी अभ्यर्थी के रुप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

कक्षा 12 की समकक्षकता हेतु –

1. कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
2. यह समकक्षकता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।
3. 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षकता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर/ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

4. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे की कक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोटः–

- ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।
- उक्त बिन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।

2.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत क्रम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर–1) में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर–1) में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला	कला/विज्ञान संकाय
विज्ञान– गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय गणित समूह
विज्ञान– जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव विज्ञान समूह

*अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने बाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते है।

2.1.2 कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जायेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।

2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

2.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोडा जायेगा, जिसमें एक भाषा का

होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पांच विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित/जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जावेगी।

2.4 संकाय/विषय/ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन

2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय/विषय/आनर्स कोर्स में संबद्धक वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हों।

2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि बिन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों।

2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/– रू. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होगे।

2.5 समान प्रतिशत होने पर वरीयता क्रम

2.5.1 यदि किसी कक्षा/विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.2 यदि बिन्दु 2.5.1 में भी समान होने पर कक्षा 12वीं में अधिक **प्राप्तांक प्रतिशत** वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.3 बिन्दु 2.5.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.4 बिन्दु 2.5.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

सभी योग्य आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय स्वीकृत वर्ग में स्थान रिक्त रह जाये तो उपर्युक्त पात्रता में 3% की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में 3% कम तक के अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
1.	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एससी.	अर्हकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान सकांय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण– आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण।
2.	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	समी संकाय	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए. के लिये अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम. एससी. के लिये आवेदित विषय के साथ विज्ञान सकांय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण ।

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2+ (3 वर्ष या तीन वर्ष से अधिक की स्नातक परीक्षा से है)।

- स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों तथा राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किती विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा
- त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

- पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में बी.एड. करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी'सी. के अभाव में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जावेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह गत सत्र में बी.एड. का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी'सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

प्रवेश नियम – राज्य सरकार एवं बृज विश्व विद्यालय भरतपुर द्वारा निर्धारित नियम ही लागू होंगे, जिसके लिए आवेदन, प्रकाशित एवं प्रेषित नियमों की जानकारी प्राप्त करके ही करें । प्रवेश सम्बन्धी नवीनतम नियम राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार ही मान्य होंगे। नूतन–प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

1. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक तालिका एवं उसकी दो सत्य प्रतिलिपियां, चरित्र प्रमाण पत्र
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T-C) राजस्थान से बाहर के विद्यार्थियों के लिये Migration Certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. जन्मतिथि के लिए सैकण्डरी परीक्षा के प्रमाणपत्र की दो सत्यापित प्रतियां
4. जाति प्रमाण पत्र
5. आय प्रमाण पत्र
6. आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी
7. आवेदन पत्र व अन्य प्रपत्रों में छाया चित्र (फोटो) निर्धारित स्थानों पर लगाना आवश्यक है ।
8. दो पोस्टकार्ड मूल पते के साथ।

असफल विद्यार्थी– महाविद्यालय का असफल विद्यार्थी–कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं है। पूरक परीक्षा योग्य विद्यार्थी को निर्धारित समय में अस्थायी प्रवेश ले लेना चहिये। छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को राज्य सरकार को नियमानुसार छात्रवृति, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा छात्राओं को मेरिट छात्रवृति भी प्रदान की जाती है। मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित कलेण्डर देखें।

महाविद्यालय में उपलब्ध विषर्यो में से तीन विषय लेने है। वैकल्पिक विषय/संकाय का चयन विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही करना पड़ेगा। गलत विषय का चयन करने पर परिणाम की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। जीव विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी गणित वर्ग के लिये योग्य नहीं है। इसी प्रकार गणित वर्ग के विद्यार्थी जीव विज्ञान वर्ग के लिए योग्य नहीं हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा कृषि से उत्तीर्ण आवेदक जीव विज्ञान प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। विषय/संकाय में परिवर्तन प्रवेश प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के अन्दर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर विचार किया जा सकता है।

अनुशासन – महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के साथ अनुशासन को महत्व प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय पर माता–पिता/संरक्षक के द्वारा संलग्न शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वार्ड /छात्र / छात्रा के द्वारा महाविद्यालय को गरिमा को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से गिराने का प्रयास करने पर उनके वार्ड को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिये जाने पर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

महाविद्यालय परिसर में गुटखा, पान, तम्बाकू, धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। उल्लंघन करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

परिचय पत्र – प्रत्येक नियमित छात्र–छात्रा के लिए परिचय–पत्र अपने पास रखना अनिवार्य है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवा कर परिचय–पत्र कार्यालय से प्रवेश के समय प्राप्त कर लेना चाहिये।